Date - 9 May 2022

असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021

- हाल ही में एक गाय संरक्षण कानून (असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021) जिसे असम द्वारा एक साल पहले अधिनियमित किया गया था, ने मेघालय में एक तीव्र बीफ संकट पैदा कर दिया है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में मवेशियों के वध को नियंत्रित करने वाला ऐसा कोई कानून नहीं है।

मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम गायों के वध पर रोक लगाता है।
- यह अन्य मवेशियों (बैल, बैल और भैंस) के वध की अनुमति देता है यदि मवेशी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या चोट या विकृति के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।
- यह अनुमत स्थानों को छोड़कर, मवेशियों के अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय परिवहन और गोमांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- संबंधित प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए इस्तेमाल किए गए मवेशियों और वाहनों का निरीक्षण और जब्ती कर सकता है।
- दोषसिद्धि पर, जब्त किए गए मवेशियों और वाहनों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।

बड़ी चुनौतियां

- असम के माध्यम से परिवहन पर प्रतिबंध के कारण अधिनियम भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मवेशियों के परिवहन को अनुचित रूप से सीमित करता है।
- अधिनियम असम से उन राज्यों में पशु परिवहन को प्रतिबंधित करता है जहां पशु वध को विनियमित नहीं किया जाता है।
- मुकदमे के दौरान जब्त मवेशियों के रखरखाव की लागत का भुगतान करना आरोपी के लिए मुश्किल हो सकता है।

Yojna IAS

- जिन जगहों पर बीफ़ बेचा जा सकता है उन जगहों पर प्रतिबंध वास्तव में राज्य भर में बीफ़ की बिक्री पर प्रतिबंध की तुलना में समान और व्यापक हो सकता है।

गोहत्या पर प्रतिबंध क्यों ?

- संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 48) में प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों और वध में सुधार के लिए कदम उठाएगा।
- इसी क्रम में 20 से अधिक राज्यों ने मवेशियों (गाय, बैल और बैल) और भैंसों के वध को विभिन्न स्तरों तक सीमित करने वाले कानून पारित किए हैं।

न्यायपालिका की राय:

- समय के साथ इन राज्य कानूनों के तहत मद्यनिषेध की सीमा को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा निर्देशित किया गया है।
- इससे पहले मध्य प्रदेश (1949), बिहार (1955) और उत्तर प्रदेश (1955) जैसे राज्यों के कानूनों ने मवेशियों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
- वर्ष 1958 में इन तीनों कानूनों की जांच करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध कसाई के अपने व्यापार या पेशे का अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- यह माना गया कि गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक रूप से वैध था, लेकिन बैल, बैल और भैंस के वध पर प्रतिबंध केवल एक निश्चित सीमा तक ही सीमित किया जा सकता था, या उनकी उपयोगिता के आधार पर (दूध, प्रजनन के लिए) हो सकता है।
- 1994 में, गुजरात ने सभी उम्र के सांडों और सांडों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संशोधित कानून पारित किया।
- 2005 में, सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने गुजरात संशोधन अधिनियम के तहत अदालतों के पहले के फैसलों के विपरीत, बैल और बैल के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखा।
- हाल के वर्षों में, छत्तीसगढ़ (2004), मध्य प्रदेश (2004), महाराष्ट्र (2015), हरियाणा (2015) और कर्नाटक (2021) जैसे राज्यों ने भी सभी उम्र के सांडों और बैलों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गाय संरक्षण के लिए पहल:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- गोकुल ग्राम
- पशु जीवन रक्षक
- राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन

Yojna IAS

कॉयर उद्योग

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 'एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022' का उद्घाटन किया।
- कार्यक्रम का आयोजन कयर और कयर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उनके आवेदन के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक समन्वित प्रयास के रूप में किया जा रहा है।
- प्राकृतिक रूप से सड़ सकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में कॉयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 मई, 2022 को 'रन फॉर कॉयर' का भी आयोजन किया जा रहा है। दौड़ में गणमान्य व्यक्तियों, कॉलेज के छात्रों और आम जनता सहित एक हजार से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।

कॉयर:

- यह नारियल के उपोत्पाद के रूप में प्रकृति में पाए जाने वाले 'नारियल पाम' द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पादित पदार्थ है।
- यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है जो नारियल के खोल के बाहर पाया जाता है जिसे प्राकृतिक रूप से उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है।
- नाविकों द्वारा रस्सी के रूप में और जहाज के तारों के रूप में सामान बांधने के लिए सदियों से कॉयर का उपयोग किया जाता रहा है।
- आज कॉयर का उपयोग उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जिसमें कालीनों और डोरमैट से लेकर प्लांट पॉट्स और हैंगिंग बास्केट लाइनर्स, कृषि में उपयोग की जाने वाली बागवानी सामग्री और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जालीदार चादरें शामिल हैं। कुछ पोटिंग मिक्स उत्पादों में भी कॉयर का उपयोग किया जाता है।

भारत में कयर उद्योग की स्थिति:

- देश में कयर उद्योग के समग्र सतत विकास के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत भारत सरकार द्वारा कयर बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- बोर्ड के कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, मानव संसाधन विकास, बाजार संवर्धन और इस उद्योग में लगे सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, सहायता करना और प्रोत्साहित करना है।
- कयर उद्योग अधिनियम के तहत जनादेश कयर बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें अनुसंधान और विकास गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, घरेलू और निर्यात बाजार विकसित करना शामिल है।

महत्त्व:

Yojna IAS

रोज़गार:

- नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कयर उद्योग 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 80% कारीगर महिलाएं हैं, लेकिन अब तक इसका उत्पादन देश के दक्षिणी नारियल उत्पादक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित है।

निर्यात करना:

- वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से कयर और कयर उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 1021 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि के साथ 98 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया।

घरेलू खपत:

- विश्व के वार्षिक कॉयर फाइबर के 50% से अधिक उत्पादन की खपत मुख्य रूप से भारत में होती है।
- पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने घरेलू और विदेशी बाजारों में कयर और कयर उत्पादों की मांग में वृद्धि की है।

पर्यावरण के अनुकूल:

- कॉयर उत्पाद प्रकृति में पर्यावरण के अनुकूल हैं और भारत के वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा "इको मार्क" के साथ प्रमाणित किए गए हैं।
- कयर उत्पाद पर्यावरण को बचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं।
- मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कॉयर भू टेक्सटाइल का उपयोग, कॉयर पिथ को एक मूल्यवान जैव-उर्वरक और मिट्टी कंडीशनर और कॉयर उद्यान उत्पादों में बदलने जैसे कॉयर के नए अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों ने भारत और विदेशों में लोकप्रियता हासिल की है।

Yojna IAS

शुक्र मिशन

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नए अध्यक्ष ने घोषणा की है कि वीनस मिशन दिसंबर 2024 तक लॉन्च किया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड बादलों का अध्ययन करना है, जो जहरीले और संक्षारक प्रकृति के हैं।
- इससे पहले, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने वीनस (DaVinci Plus और Veritas) के लिए दो नए रोबोटिक मिशनों की घोषणा की थी।

मिशन के प्रमुख उद्देश्य:

- सतही प्रक्रिया और उथली उप-सतह स्ट्रैटिग्राफी की जांच करना।
- शुक्र की उपसतह का अभी तक कोई पूर्व अवलोकन नहीं किया गया है।
- स्ट्रैटिग्राफी भूविज्ञान की एक शाखा है जो चट्टानों की परतों और परतों के निर्माण का अध्ययन करती है।
- वातावरण की संरचना, संघटन और गत्यात्मकता का अध्ययन करना।
- वीनसियन आयनोस्फीयर के साथ सौर हवा की बातचीत की जांच करना।

मिशन का महत्व:

- मिशन यह जानने में मदद करेगा कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे चलते हैं और पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट (हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह) पर क्या स्थितियां मौजूद हैं।
- यह पृथ्वी की जलवायु को मॉडलिंग करने में मदद करेगा और इस बारे में चेतावनी के रूप में कार्य करेगा कि किसी ग्रह की जलवायु कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है।

मिशन चुनौतियां:

- शुक्र अपने घने वातावरण और सतह की गतिविधि को देखते हुए मंगल की तुलना में विभिन्न चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जो इसे एक जटिल ग्रह बनाता है।
- गहराई से समझने के लिए उपकरणों को वातावरण के माध्यम से गहराई तक ले जाने की आवश्यकता है।
- अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष यान पर जिन उपकरणों का उपयोग करने की योजना बना रही है उनमें एक उच्च विभेदन सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) है जो ग्रह के चारों ओर बादलों (जो दृश्यता को कम करता है) के बावजूद शुक्र की सतह की जांच करेगा।
- यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों के निर्माण के लिए एक तकनीक को संदर्भित करता है। सटीकता के कारण रडार बादलों और अंधेरे में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन-रात डेटा एकत्र कर सकता है।

Yojna IAS

पूर्व मिशन:

अमेरिका:

- मेरिनर श्रृंखला 1962-1974, 1978 में पायनियर वीनस 1 और 1989 में पायनियर वीनस 2, मैगलन।

रूस:

- 1985 में 1967-1983, वेगास 1 और 2 अंतरिक्ष यान की वेनेरा श्रृंखला।

जापान:

- वर्ष 2015 में अकात्सुकी।

यूरोप:

- वीनस एक्सप्रेस वर्ष 2005 में।

शुक्र ग्रह:

- इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। यह सूर्य से दूरी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान और आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है।
- यह चंद्रमा के बाद रात के आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है, शायद यही वजह है कि यह दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में आकाश में अपनी गति के लिए जाना जाने वाला पहला ग्रह था।
- हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत, शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं।
- कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जो एक तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है।
- शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष से अधिक लंबा होता है। शुक्र अपनी धुरी पर घूमने में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लेता है उससे अधिक समय लेता है।
- यानी 243 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर के साथ सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे लंबा चक्कर।
- सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए केवल 7 पृथ्वी दिन।
- शुक्र को द्रव्यमान, आकार और घनत्व में समानता और सौर मंडल में इसके सापेक्ष स्थानों के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा गया है।
- शुक्र की तुलना में कोई भी ग्रह पृथ्वी के करीब नहीं जाता है; अपने निकटतम स्तर पर, यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का निकटतम सबसे बड़ा पिंड है।
- शुक्र का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

Yojna IAS